न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—290 / 2019 / 223 (2019 / 00290)

1. फिरोज खां पुत्र सत्तार खां,
2. अफरोज खां सत्तार खां,
3. श्रीमती बिस्मिल्लाह पत्नी सत्तार खां,
   जाति मुसलमान पठान, निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती हसीना पत्नि आलम खां पुत्री सत्तार खां, जाति मुसलमान पठान, नि0 बलाड़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती जरीना पत्नि ईस्माईल खां पुत्र सत्तार खां, जाति मुसलमान पठान नि0 ग्राम सालाकोट, तह0 रायपुर, जिला पाली ।
6. साजिद खां पुत्र निसार खां (दौराने वाद नाबालिग)
7. सद्दाम खां पुत्र निसार खां (नाबालिग)
8. शाहिद खां पुत्र निसार खां (नाबालिग),
   जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, हाल नि0 गहलोत सिपाहियों का बड़ा वास, जैतारण, जिला पाली ।
9. छोटू खां पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान पठान, निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मोहम्मद सद्दीक पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती जन्नत पत्नि गफ्फार खां,
3. फरीदा पुत्री गफ्फार खां,
4. मेरूना पुत्री गफ्फार खां,
   जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस / वादीगण

5. तहसीलदार, जरिये भूमिधारी, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. उप पंजीयक, तहसील परिसर, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 12.12.2016 अंतर्गत वाद संख्या 80 / 2013.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6.

निर्णय

दिनांकः— 31.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर में खाता संख्या 394 के खसरा नंबर 425 रकबा 1—16—00, 1017 रकबा 2—13—10, 1020 रकबा 1—6—10, 1074 रकबा 5—5—00, 1082 रकबा 3—14—10, 1083 रकबा 2—5—00, 1086 रकबा 1—17—00 एवं 1087 रकबा 3—6—10 कुल किता 8 कुल रकब 22—4—00 बीघा भमि अवस्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजियात का आज दिवस तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 1082 पर निर्माण कार्य करवाकर मकानात बनवा रहे है जबकि उक्त आराजियात में वादीगण का भी हिस्सा है । जब तक वादग्रस्त आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी खातेदार कृषि भूमि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य अकृषि कार्य के लिये प्रयोग में नहीं ले सकता है एवं न ही खुर्दबुर्द कर सकता है । वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात का विधिक बंटवारा करने तथा निर्माण कार्य रोकने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस आशय का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 12.12.2016 को पारित कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उक्त वाद में दिनांक 10.9.2014 को पेशी हेतु प्रतिवादी संया 2 व 5 को जारी नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त करने के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 18.3.2015 को एक तरफा कार्यवाही की गई । दिनांक 10.9.2014 के लिये प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को जारी नोटिस का अवलोकन किये जाने पर प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है बल्कि फिरोज खां पुत्र सत्तार खां अंकित किया हुआ है । उक्त नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा बिना किसी आधार के संयुक्त परिवार की टिप्पणी अंकित की गई है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा अदम तामील प्राप्त नोटिस को तामीलशुदा मानकर

विधिक भूल कारित की है जबकि तामील कुनिन्दा द्वारा संयुक्त परिवार का तथ्य किसी भी गवाह द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया है । उक्त वाद में तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नोटिस जरिये चस्पानगी तामील कराये गये जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा तामील कुनिन्दा को जरिये चस्पानगी तामील कराये जाने के बाबत् आदेश प्रदान नहीं किये गये न ही नोटिस में चस्पानगी से तामील कराये जाने का कोई नोट ही अंकित है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आदेश के चस्पानगी नोटिस पर एकतरफा कार्यवाही करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने से प्रतिवादीगण को प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ जिससे अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 6 से 8 दौराने वाद नाबालिग होने के कारण अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 18.3.2015 को अधिवक्ता श्री अशोक उपाध्याय को नाबालिग प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से समुचित पैरवी करने बाबत् वादमित्र नियुक्त किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.7.2016 को अदालती वली उपस्थित नहीं होने के कारण नाबालिगान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा जवाबदावा बंद कर दिया गया । अधी0न्याया0 द्वारा नियुक्त अदालती वली की लापरवाही की सजा नाबालिग को नहीं दी जा सकती है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नाबालिगान का सर्वोत्तम सरंक्षक स्वंय न्यायालय होता है तथा नाबालिगान के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य होता है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वर्ष 2007 में ही आपसी समझाईश से राजी–खुशी विभाजन कर लिया गया तथा मौखिक विभाजन के आधार पर उभयपक्ष पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये थे । आपसी समझाईश के आधार पर हुए विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2007 में वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 1082 में अपने रहवास हेतु दो कमरे, एक रसाई तथा एक कोटड़ी का निर्माण कराया गया था तत्समय वादीगण/रेस्पो0 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । तत्पश्चात् मौखिक विभाजन के अनुार ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वर्ष 2013 में वादग्रस्त आराजी में दो कमरे, एक हाल, लेटबाथ, एक रसोई, खुला चौक तथा एक कोटड़ी का निर्माण कराया गया था तब भी वादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वाद के विचाराधीन रहते प्रवितादी संख्या 6 बालिग हो गया तथा वाद में पैरवी करने हेतु समक्ष पक्षकार था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को उक्त वाद के नोटिस सम्यक तामील नहीं होने से उक्त वाद की जानकारी नहीं हो सकी जिससे प्रतिवादी संख्या 6 अपने अधिकारों की प्रतिरक्षा हेतु जवाब दावा पेश नहीं कर सका । अधी0न्याया0 ने अपूर्ण नोटिस को तामील मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिरक्षा किये जाने के अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2019 पेज 1050, आर0आर0टी0 2018–19 पेज 410, आर0आर0टी0 2017 पेज 689,

आर0आर0टी0 2016–17 पेज 711, आर0आर0टी0 2017 पेज 610 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के नोटिस अपीलांटस पर सम्यक रूप से तामील नहीं होने तथा अधी0न्याया0 द्वारा मनमाने तौर पर सम्मिलित परिवार की उपधारणा करते हुए अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक को जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट संख्या 2 भारतीय सेना में सेवारत है जो ईद का त्यौहार परिवार के साथ मनाने तथा अपनी कृषि आराजियात की देखभाल हेतु छुट्टिया लेकर गांव आया हुआ था तब दिनांक 5.8.2019 को अपीलांट संख्या 2 वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । जिस पर अपीलांट ने उक्त वाद एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 7.8.25019 को आवेदन पेश किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 3.9.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 10 स्वंय उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन पर स्वंय द्वारा तामील की रिपोर्ट अंकित, प्रतिवादी संख्या 4 के सम्मन बाहर जाने की रिपोर्ट तथा दो गवाहान के हस्ताक्षर कराकर सम्मन मकान पर चस्पा की रिपोर्ट अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन पुत्र द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन भाई द्वारा तामील कराये जाने आदेशिका में अंकित है । आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.12.2013 को अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की तामील को विधिसम्मत् तामील मानकर प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन मकान पर चस्पा की रिपोर्ट को मान्य होने का अंकन है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्मन मकान पर चस्पा करने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा आदेश पारित किये गये हो । अधी0न्याया0 ने तामील कुनिन्दा द्वारा स्वंय के स्तर पर की गई चस्पानगी की रिपोर्ट को सही मानकर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । चस्पानगी से तामील विशेष परिस्थिति में कराई जानी चाहिये । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र तामील कुनिन्दा द्वारा बिना आदेश के कराई गई चस्पानगी से तामील को विधिसम्मत् मानकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा

कार्यवाही के आदेश पारित कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रतिवादी को विधिवत् तामील नहीं होने से वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाये थे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णरू व प्राथमिक डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर